सं/डॉर.राबैं .सं.63-ए/1 सामान्य/2021-22
परिपत्र संख्या राबैं.82-डॉर/28/2021

30 अप्रैल 2021

अध्यक्ष
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

प्रिय महोदय,

अल्पावधि पुनर्वित्त का प्रावधान - विशेष तरलता सुविधा 2 –

Provision of Short Term Refinance - Special Liquidity Facility - 2

कृपया अल्पावधि पुनर्वित्त नीति पर जारी नाबार्ड के निम्नलिखित परिपत्र का अवलोकन करें.

i) राबैं.डॉर/57/ए-1.जन /2021-22 (परिपत्र सं /डॉर-75/2021) दिनांक 28 अप्रैल 2021
ii) संदर्भसं राबैं.डॉर/61/ए-1 (अल्पावधि अन्य)/2021-22 (परिपत्रसं राबैं 77/ डॉर-23/ 2021) दिनांक 28 अप्रैल 2021

2. कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र, किसानों को उनके कृषि परिचालनों को सुचारु रूप से चलाने के लिए बैंकों से अबाधित ऋण प्रवाह उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने नाबार्ड के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नकदी सहायता देने हेतु एक विशेष तरलता सुविधा – 2 (एसएलएफ़-2) उपलब्ध कराई है. इस एसएलएफ़- ऋण की विशेषताएँ निंम्नानुसार हैं:

क. इस सुविधा के अंतर्गत मंजूरी के लिए पुनर्वित्त की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक-वार मात्रा, नाबार्ड द्वारा उपर्युक्त इंगित पात्रता मापदंडों के साथ-साथ बैंक के 2021-22 के प्रक्षेपित आरएलपी/ पिछले वर्ष के कृषि जीएलसी के अनुसार निर्धारित की जाएगी.

ख.पुनर्वित्त पर ब्याज दरें समय-समय पर नाबार्ड द्वारा तय की जाएंगी. वर्तमान के लिए यह दर 4.40% प्रति वर्ष है. यह ब्याज 01 अक्टूबर और 01 अप्रैल को छमाही आधार पर देय है.

ग. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अल्पावधि कृषि ऋण और अल्पावधि (अन्य) के लिए अलग-अलग मासिक एनओडीसी विवरण प्रस्तुत करेंगे जिसे फिजिकल या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगामी माह की 20 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बैंक द्वारा विशेष तरलता सुविधा के तहत आहरण संबंधित श्रेणी के तहत उपलब्ध कुल निवल एनओडीसी से अधिक नहीं हो.

घ. चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक से एसएलएफ़-2 सुविधा नाबार्ड द्वारा प्रथम आहरण की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए जारी की जाती है, इसलिए इस सुविधा के अंतर्गत अदायगी अवधि अधिकतम एक वर्ष अथवा एसएलएफ -2 जारी करते समय नाबार्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि के अनुसार होगी.

राष्ट्रीयकृषिऔरग्रामीणविकासबैंक
National Bank for Agriculture and Rural Development
पुनर्वित्त विभाग
प्लॉटक्रसी-24,'जी' ब्लॉक,बांद्रा-कुर्लाकॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ईमेल:dor@nabard.org
Department of Refinance
Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325• Fax: +91 22 26530090• E-mail: dor@nabard.org

ङ. अन्य सभी नियम और शर्तें ऊपर इंगित पैरा 1 में उल्लिखित हमारे अतिरिक्त अल्पावधि (मौसमी कृषि परिचालन) परिपत्र के अनुसार होंगी.

3. आप सीमाओं की समय पर मंजूरी के लिए निर्धारित प्रोफ़ार्मा फॉर्मेट के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन, नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को तत्काल भेजने की व्यवस्था करें.

4. कृपया इस परिपत्र की पावती हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भिजवाएं.

भवदीय

(एल आर रामचंद्रन)
मुख्य महाप्रबंधक